



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण

संख्या-प0नि0 30-127 / 2021-2557

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
जहानाबाद।

पटना, दिनांक-8.7.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्र पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- पत्रांक-1182, दिनांक-03.07.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्र के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्र की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र०सं०	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1	रतनी फरीदपुर	1	1	2
	कुल	1	1	2

2. मतदान केन्द्र की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन


सचिव।

ज्ञापक-2557/-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करे।

पटना, दिनांक-8.7.21/-


सचिव।

प्रपत्र - 2

(नियम 2(म) के अधिन)

जिला-जहानाबाद अन्तर्गत पंचायत निर्वाचन 2021 के लिए संशोधित मतदान केन्द्रों की सूची

प्रखण्ड - रतनी फरीदपुर												पंचायत - सोहरिया	
क्रम संख्या	मतदान केन्द्र संख्या	आयोग द्वारा पूर्व में अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल	संशोधित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थान	संशोधित का कारण / औचित्य	मतदान क्षेत्र का विस्तार (प्रारंभ से 00 से 00 तक)	मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या 000 से 000 तक	मकान सरकारी / अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं	मकान में कुल कमरों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाताओं द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी	प्रवेश एवं निकासी की अवसर-अलग व्यवस्था है अथवा नहीं	मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कमजोर वर्ग के लोग निर्वासित होकर मतदान कर सकते हैं अथवा नहीं	मतदान क्षेत्र किस वार्ड में स्थित है	अविवक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	26	सामुदायिक मकान भवन विंगहा	सामुदायिक मकान भवन विंगहा	उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना का पत्रांक 1425 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति देने के उपरान्त	8 (सोहरिया)	1 से 215= 215	सरकारी	1	8 कि०मी०	हाँ	हाँ	8	उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना का पत्रांक 1425 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति देने के उपरान्त
2	35-क	सामुदायिक मकान भवन विंगहा	नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, मेघु विंगहा	उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना का पत्रांक 1425 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति देने के उपरान्त एवं पूर्व मतदान केन्द्र से दूरी का लगभग 8 कि०मी० होना	8 (सोहरिया)	216 से 597= 382	सरकारी	2	2 कि०मी०	हाँ	हाँ	8	उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना का पत्रांक 1425 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति देने के उपरान्त एवं पूर्व मतदान केन्द्र से दूरी का लगभग 8 कि०मी० होना। यानीय तत्काल न्यायलय पटना का आ.पत्र 7632/2010 के आलोक में ग्राम पंचायत सोहरिया के वार्ड संख्या 8 में मतदान केन्द्र संख्या 35-क नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, मेघु विंगहा में स्थापित किया गया था।

निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)-सह-
प्रखंड विकास पदाधिकारी,
रतनी फरीदपुर।

उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
जहानाबाद

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित

उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, नित्य

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
जहानाबाद।